लोक सुनवाई की कार्यवाही

दिनांक 05.10.2018 को मे0 इंडियन ऑयल लि0 बरौनी रिफाइनरी, बेगूसराय के 6 एम.एम.टी. से 9 एम.एम.टी. क्षमता विस्तार एवं 200 एम.टी. प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता का एक पॉलिमर यूनिट की स्थापना हेतु लोक सुनवाई बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, बरौनी क्षेत्रीय कार्यालय में की गयी।

इस लोक सुनवाई की सूचना दिनांक 05.09.2018 को दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया एवं हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित किया गया तथा इसकी सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्त्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना सं0 एस.ओ. 1533 दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत अंकित प्रावधानों के अुनसार की गयी।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् क्षेत्रीय कार्यालय बरौनी द्वारा उपस्थित महानुभावों का स्वागत किया गया तथा इस परियोजना के संबंध में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया। साथ ही इनके द्वारा यह भी बतलाया गया कि इकाई द्वारा पर्यावरण प्रबंधन के संबंध में पर्यावरण मूल्यांकन प्रभाव प्रतिवेदन भी तैयार किया गया है जिसमें, जल, वायु एवं ध्वनी प्रदूषण की रोकथाम हेतु की जानेवाली व्यवस्था के संबंध में विस्तृत रूप से प्रतिवेदन अंकित है।

श्री अंकूर अग्रवाल, मुख्य उत्पादन प्रबंधक बरौनी रिफाइनरी द्वारा उपस्थित लोगों के बतलाया गया कि उत्पादन क्षमता विस्तार एवं नये पॉलिमर यूनिट के स्थापना के पश्चात प्रदूषण में कमी आयेगी क्योंकि वर्त्तमान में इकाई के पास तीन AVU यूनिट है जिसके बदले एक नया AVU लगाया जायगा जो कि नवीनतम तकनिक पर आधारित होगा तथा इसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण संयत्र लगा रहेगा साथ ही सभी नये चिमनी में SO_2, NoX, Co और PM विश्लेषक संयंत्र लगा रहेगा जो CPCB नई दिल्ली के सर्वर से जुड़ा रहेगा। सभी फर्नेस में लो नार्क्स बर्नर की स्थापना की जायगी। नये इकाई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बिजली पावर ग्रीड से लिया जाएगा। फ्लेयर गैस को नियंत्रित करने के लिए नये तकनिक पर आधारित फ्लेयर गैस रिकवरी प्रणाली की स्थापना की जायगी जिस कारण उत्सर्जन में काफी कमी आयगी। इस प्रकार इस इकाई से वायु प्रदूषण की संभावना नहीं रहेगी।

क्षमता विस्तार के बाद शून्य तरल वहिःस्राव होगा इकाई से किसी भी तरह के वहिःस्राव का निस्सारण नहीं किया जाएगा तथा सम्पूर्ण जल का पुर्न उपयोग समुचित उपचार के बाद किया जायगा।

ध्वनी प्रदूषण की रोकथाम हेतु कम्प्रेसर, फ्लेयर व्यालर एवं ब्लोयर सेक्सन में आधुनिकतम तकनिक पर आधारित संयंत्र लगाये जायेगें। इस वर्ष 5000 हजार नये वृक्ष लगाये जायेगें।

श्री नीरज कुमार प्रबंधक (सी.एस.आर.) रिफाइनरी द्वारा यह बताया गया की वित्तीय वर्ष 15–16, 16–17 एवं 17–18 में क्रमशः 705.28 लाख, 335.90, 613.57 लाख रूपये रिफाइनरी के द्वारा सी.एस.आर. में खर्च किया गया है संबंधी विवरणी लोगों को दिया गया। इनके द्वारा बतलाया गया कि उत्पादन क्षमता को विस्तार एवं नये पॉलिमर यूनिट की स्थापना कार्यरत परिसर के अंदर ही किया जायगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं है। तत्पश्चात् निम्न उपस्थित महानुभावों द्वारा निम्न प्रतिक्रिया/सुझाव दिया गया है;

1.	श्री दिलीप कुमार सिन्हा, सामाजिक कार्यकर्त्ता, बेगूसराय	इनके द्वारा बतलाया गया कि उत्पादन क्षमता विस्तार एवं पॉलिमर यूनिट की स्थापना की मांग कई वर्षों से स्थानीय लोगों के द्वारा किया जा रहा है जो अब पूरा हो रहा है यह बहुत ही खुशी की बात है। पॉलिमर यूनिट की स्थापना होने पर इस क्षेत्र में लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों प्लास्टिक आधारित उद्योगों की स्थापना होगी, जिसके स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग की गयी।
2.	मो0 आजाद खाँ, ग्राम–मोसादपुर, बरौनी, बेगूसराय	इनके द्वारा पॉलिमर यूनिट की स्थापना शीध्र करने की मांग की गयी साथ ही प्रदूषण की रोकथाम हेतु आवश्यक सभी संयंत्र लगाने की माँग की गयी।
3.	श्री अजित कुमार गौतम, महासचिव, जिला व्यवसायिक संघ, बेगूसराय	इनके द्वारा माँग की गयी कि बरौनी रिफाइनरी प्रबंधक द्वारा स्थानीय लोगो का रोजगार मुहय्या कराने हेतु प्रशिक्षित एंव सलाह देने का कार्य करे साथ ही सी.एस.आर. के तहत खर्च की जानेवाली राशि के संबंध में भी स्थानीय लोगों को समय–समय पर जानकारी दिया जाय।
4.	कमरे आलम खाँ, देवना, बेगूसराय	रिफाइनरी से निकलने वाले पेट कोक से जुड़े हुए संलग्न इकाईयों के द्वारा बरौनी औद्योगिक में वायु प्रदूषण फैलाया जाता है। इस पर रोक लगाने की माँग की गयी साथ ही सभी कार्वन फैक्ट्री को निदेश दिया जाय कि इकाई में लगे वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र को नियमित रूप से चलाये
5.	मुर्शीद खाँ, सचिव बढ़ते कदम संस्थान, बेगूसराय	वायु एवं जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु संयंत्र स्थापित कराया जाय तत्पश्चात ही करखाना को चलाया जाय क्योंकि रिफाइनरी एवं औद्योगिक क्षेत्र के चारो तरफ आबादी है।

6.	मो0 जिकरूल्ला खाँ, देवना, बरौनी	इनके द्वारा बरौनी औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्बन फैक्ट्री से हो रहे वायु प्रदूषण के संबंध में शिकायत की गयी तथा इस पर शीध्र रोक लगाने की माँग की गयी।
7.	श्री सुजीत पासवान, हरपुर, बरौनी	इनके द्वारा बतलाया गया कि कारखाने से निकलने वाले गाड़ी चालक के द्वारा खुले आकाश में शौच किया जाता है क्योंकि उनके शौच की व्यवस्था बरौनी रिफाइनरी द्वारा नहीं किया गया है। रिफाइनरी के प्रबंधक द्वारा शीध्र ही शौचालय निर्माण करने का अश्वासन दिया गया।
8.	श्री सोनु सिंह	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर नियोजित करने का कार्य किया जाय।

लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र बेगूसराय द्वारा बतलाया गया कि बरौनी रिफाइनरी द्वारा उत्पादन क्षमता एवं पॉलिमर यूनिट की स्थापना के साथ स्थानीय लोगो को रोजगार मिलेगा तथा इस क्षेत्र में प्लास्टिक पर आधारित नये उद्योग भी लगेगें।

उपविकास आयुक्त बेगूसराय द्वारा सभी उपस्थित लोगों को बतलाया गया कि बरौनी रिफाइनरी द्वारा उत्पादन क्षमता का विस्तार एवं पेट्रोकेमिक्लस यूनिट की स्थापना के पश्चात स्थानीय लोगो को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा इस पर आधारित नये–नये उद्योगो की भी स्थापना होगी। इनके द्वारा द्वारा यह भी बतलाया गया कि यह एक भारत सरकार का उपक्रम है तथा सभी निर्धारित मानकों को पुरा करना इनका दायित्व है तथा सभी प्रकार के होनेवाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु आवश्यक सभी उपकरण लगाया जाएगें ताकि स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर इसका कुप्रभाव न पड़े। इनके द्वारा इकाई की उत्पादन क्षमता विस्तार एवं नये पॉलिमर यूनिट लगाने हेतु स्थानीय लोगों से सहमति देने की मांग की गयी। तत्पश्चात सभी उपस्थित स्थानीय लोगों के द्वारा सर्वसम्मत सहमति दी गयी।

धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात लोक सुनवाई समाप्त की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी	महाप्रबंधक	उपविकास आयुक्त
वि0रा0प्र0नि0पर्षद्, बरौनी	जिला उद्योग केन्द्र, बेगूसराय	बेगूसराय